[illegible]

एवं इकबालिया बयान पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी हेतु दिनांक 16-7-18 को पेश हो।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

16/7/18 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। वकील वादी की ओर से PW1 परसादी, PW2 सुकराम, PW3 रामलाल के बयान दर्ज कराये गये। पत्रावली में अन्य साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं। साक्ष्य वादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 18-7-18 को पेश हो।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

18/7/18 पत्रावली पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 20-7-18 को पेश हो।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

20/7/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वादी का दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल की जावे।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

परसादी दत्तक पुत्र केण्डा उर्फ गिरधारी, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, वादी

बनाम

1. बदरी, 2. रामहरी 3. लड्डू	पुत्रगण भामल्या, जाति कुम्हार, निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर
4. बुधराम एवं 5. रामनिवास	पुत्रगण नारायण जाति कुम्हार, निवासी ग्राम भांवड़, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर

6. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 74/2018

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित । इस वाद में आज दिनांक 20.7.2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादी का दावा डिक्री किया जाता है व आराजी खसरा नम्बर 698 रकवा 0.45 हैक्टेयर, 848 रकवा 0.02 हैक्टेयर, 849 रकवा 0.76 हैक्टेयर, 880 रकवा 0.55 हैक्टेयर, 935 रकवा 0.77 हैक्टेयर, 936 रकवा 0.87 हैक्टेयर, 958 रकवा 0.70 हैक्टेयर, कुल किता 7

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

कुल रकवा 4.12 हैक्टेयर स्थित ग्राम भावड़, तहसील बामनवास के 1/3 हिस्से का वादी को, 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को व 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकॉर्ड में परसादी पुत्र भागल्या के स्थान पर परसादी दत्तक पुत्र कैन्डा उर्फ गिरधारी दर्ज किया जावे तथा बदरी पि.मु. केन्डा के स्थान पर भागल्या दर्ज किया जावे । इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के 1/3 हिस्से के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न तो स्वंयं उत्पन्न करें और न ही किसी अन्य से करावें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 20.7.2018 को जारी की गई ।

अप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)
(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	